पेश हो

12/3/20.. पत्रावली पेश हुई नकुलाम एवं

धारा O. 7 - R 11 CPC पर बहस

नकुलाम सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने

अपनी बहस में बताया कि वादिया एवं

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 तक सभी भाई बहिन है

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपनी आवश्यकता

से 1/10 एवं 1/20 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या

6 ता 42 को बेचान किया। हिन्दू

उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005

की धारा 6 (1) में स्पष्ट लिखा है कि

9/9/2005 को पिता जीवित है - उक्त

तारीख को पिता जीवित नहीं है तो
पुत्री को सहदायभागी नहीं माना जाता
भाई बहिनों एवं पिता के देहान्त 45 वर्ष
पूर्व म्यूटेशन हुआ विधि का सुस्थापित
है कि 2005 से पूर्व मौत हो गई तो पुत्री
दावा नहीं लासकती वादी व प्रतिवादी
समाज मशावरा करके 45 वर्ष बाद
दावा लाये हो वादीगण ने 44 वर्ष पूर्व
अपने पिता की मौत होगी पर ना.क्र.
793 वादीगण गुड्डी देवी के सगा भाई
ईशा वगैरा के नाम से खोला गया। म्यूटेशन
खारिज की कोई अपील नहीं की। अतः
प्रार्थना पत्र ~~स्वीकार~~ फरमाया जावे। इसी
प्रकार वकील वादी ने अपनी बहस में
बताया कि पिता के देहान्त उस समय
के विधिक वारिसान को दर्ज किया जावे
निर्वसन मौत होने से इनके नाम होने
चाहिये। मेरे पिता ने इनको सम्पत्ति
बेचान नहीं किया 1974 में खरीदी
2020 तक बेचान नामे के आधार पर
म्यूटेशन नहीं करवाया। इनका बेचाननामा
के आधार पर दर्ज नाम खारिज
हुआ। इसमें कोई अनुतोष प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

करने का दावा नहीं किया। मेरे भाई वाला हिस्सा दावा करवा रखा है। इन्होंने 1/10 एवं 1/20 बेचान किया। पुत्री ने प्रोपर्टी नहीं खरीदी है आज तक कोई दावा पेश नहीं किया। इन्होंने भाई बहन हेतु घोषणात्मक दावा नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करमाया जावे। हमने बहस अधिवक्ता सुनी बहस पर मनन किया। वादी श्री गुड्डीदेवी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में उठाये गये सभी बिन्दुओं का विधिक परिक्षण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधि० एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2005 के परिपेक्ष में किया गया। धीमाराम की पुत्रियां गुड्डीदेवी एवं पिंकीदेवी द्वारा मौजा शहर के ख.न. 1297/1, 1313, 1314/2, 1314/1, कुल रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा हेतु पेश किया गया जिसमें वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 सगे बहिन एवं भाई है। प्रतिवादी खातेदार 1 से 4 द्वारा अपनी खातेदारी के विवेचित खसरा न. में अपने द्वारा धारित हिस्सों का बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज किया गया।

मु.नो.

तत्समय दोनों वादियां का नाम राजस्व रेकर्ड में अभिलेखित नहीं था हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 39 सन् 2005) दिनांक 9.9.2005 से प्रभावशील की धारा 6(1) विहित प्रावधानों के अनुसार उस समय पिता जीवित नहीं तो पुत्रियों को सहदायगी नहीं माना जा सकता है। भाई एवं बहिनों के पिता का देहान्त लगभग 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। फौतेगी ना० क्र० भी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। विधि का स्थापित प्रावधान है कि पिता की मृत्यु अगर 9.9.2005 से पूर्व हो चुकी है तो पुत्रियों द्वारा दावा नहीं लाया जा सकता है, अर्थात् विधिक रूप से अधिकारिता नहीं है। विवेचित फौतेगी ना० क्र० 795 वादिनी सुन्दरीदेवी के सगे भाईयों डुंगर, कॉराह के नाम से खोला गया, ना० क्र० खारिज करने हेतु अपील भी नहीं की गई है वादी अपीलों की परिसीमा के अन्तर्गत वादपत्र के संशोधन बाबत परिसीमा के नियम 3 k के अन्तर्गत वाद का खारिज होना जहाँ वाद परिसीमा

वर्जित हो " आदेश 7 नियम 11 के तहत
खारिज किया जा सकता है। धारा 3
पेज 61 में स्पष्ट व्याख्या की गई है।
इसके अतिरिक्त धारा 3 पेज 81 (ए आई
आर 1934 लाहौर 273 अपील न्यायालय
में परिसीमा के बाहर प्रस्तुत हुआ था
और भले ही परिसीमा के विषय में
प्रतिवादी ने आपत्ति नहीं की हो तो
भी न्यायालय का कर्तव्य है कि परिसीमा
वर्जित होने के आधार पर अपील में
वाद को निरस्त करे। इन सभी आख्याओं
के उद्धरणों को विश्लेषणोपरान्त एवं
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा
6 A के अन्तर्गत वादग्रस्त जायदाद
20.12.2004 के पूर्व के किसी को दान
करने पर, पिता के द्वारा बयान की
चुनौती नहीं दी जा सकती है। सभी
विहित प्रावधानों की रोशनी में हस्व
आदेश 7 नियम 11 स्वीकार की जाकर
वादीगण का वाद खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नत्थी बस्ता हो।